

न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला -बड़वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 187 / 2016
संस्थित दिनांक-04.04.2016

म.प्र. राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र अंजड़, जिला- बड़वानी

..... अभियोगी

वि रु द्ध

1. ज्वानसिंह पिता रामसिंह, उम्र- 61वर्ष,
2. गजु पिता जुवान सिंह, उम्र-29 वर्ष,
3. कविताबाई उर्फ नबुबाई पति गजु भील,
उम्र-27 वर्ष, तीनों निवासी ग्राम-गोलाटा,
थाना-ठीकरी, जिला-बड़वानी(म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

राज्य द्वारा	-	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	-	श्री बी.के.सत्संगी अधिवक्ता ।

---:: नि र्ण य ::---

(आज दिनांक 11 / 10 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी के विरुद्ध थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 60 / 16 के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक 21.03.2016 को समय शाम 07:00 बजे स्थान ज्वानसिंह के घर के सामने ग्राम गोलाटा में फरियादी राजलीबाई, तातु और जितेन्द्र को लोक स्थान पर अश्लील गालियां देकर उन्हें तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, उनको सख्त एवं बोथरी वस्तु पत्थर और झापट, मुक्कों से मारपीट करके स्वेच्छा उपहति कारित करने तथा जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित करने के लिये भा.द.स. की धारा 294, 323 (तीन बार) एवं 506 (भाग-2) का आरोप है।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि फरियादीगण आरोपीगण को जानती हूँ।

03. अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 21.03.2016 को फरियादी राजलीबाई ने थाना अंजड़ में आरोपीगण के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आज दिनांक उसके नन्दौई ज्वानसिंह ने उसके लड़के जितेन्द्र के साथ गालीगचोच कर मारपीट की तो शाम 07:00 बजे उसका पति उसका पुत्र और वह ज्वानसिंह के घर कहने गये। वहाँ आरोपीगण थे। उन्होंने ज्वानसिंह से पूछा कि जितेन्द्र को क्यों मारा तो इसी बात को लेकर ज्वानसिंह ने जितेन्द्र को झापट मुक्कों से मारपीट की। वह तथा उसका पति बचाने गये तो आरोपी राजु ने उसे पत्थर सामने सिर पर मार दिया जिससे उसे खून निकला और वह गिर गई। आरोपी कविता और गजु ने भी उसके पति को पत्थर से मारपीट की जिससे उसके सिर में चोट आई। तीनों ने उन्हें अश्लील गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर उक्त आपराध दर्ज कर घटना स्थल का नक्शा मैका बनाया फरियादिया और साक्षियों के कथन लेखबद्ध करके विवेचना पूर्ण अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04. उक्त अनुसार आरोपीगण पर भा.द.सं. की धारा 294, 323 एवं 506 (भाग-2) का आरोप लगाने पर आरोपीगण ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उनका अभिवाक लिखा गया। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किया गया परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फसाया गया किन्तु बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दी।

05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं:-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या दिनांक 21.03.2016 को समय शाम 07:00 बजे स्थान ज्वानसिंह के घर के सामने ग्राम गोलाटा में फरियादी राजलीबाई, तातु और जितेन्द्र को लोक स्थान पर अश्लील गालियां देकर उन्हें तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2	क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक स्थान व समय पर फरियादी राजलीबाई, तातु और जितेन्द्र को सख्त और बोथरी वस्तु थप्पड़, मुक्कों तथा पत्थर से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छा पूर्वक उपहति कारित की ?
3	क्या क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक स्थान व समय पर फरियादी राजलीबाई, तातु और जितेन्द्र को जान से मारने की धमकी दे कर आपराधी अभित्रास कारित किया ?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निराकरण :-

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राजलीबाई (अ.सा.1) का कथन है कि घटना लगभग 1 वर्ष पूर्व की है। वह उसका पुत्र तथा पति आरोपी गजु

के मकान के सामने से निकल रहे थे तभी आरोपीगण ने उनके साथ झगड़ा और मारपीट किया था। आरोपी गजु ने उसके सिर पर पत्थर फेंक कर मार दिया था। कविता ने जितेन्द्र के कंधे पर पत्थर मारा था। ज्वानसिंह ने उसके पति को धक्का दे दिया था जिससे उसकी कमर पर चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर अपने पुत्र के साथ जाकर की थी। साक्षी ने **प्रदर्श पी-1** की रिपोर्ट लिखाना स्वीकार किया। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उनका मकान आरोपीगण के मकान से दूर है। आरोपीगण रिश्ते में उनके मामा भांजे हैं। घटना के बाद से उनकी बातचीत बंद है। उसने रिपोर्ट पर अंगूठा लगाया था लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे गिरने से चोट आई थी अथवा गजु ने उसे पत्थर नहीं मारा था।

07. तातु (अ.सा.2) जितेन्द्र (अ.सा.3) ने भी आरोपीगण द्वारा उनके साथ पत्थर से मारपीट करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं। साक्षियों का यह भी कथन है कि गजु और कविता ने जितेन्द्र के कंधे पर पत्थर फेंक कर मारा था। मारपीट में राजलीबाई के सिर में और जितेन्द्र के कंधे में चोट आई थी। आरोपी ज्वानसिंह ने तातु को धक्का दे दिया था जिससे उसकी कमर में चोट आई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने स्वीकार किया कि वे पढ़ेलिखे नहीं हैं। उन्हें घटना की तारीख और महिना नहीं मालूम है लेकिन जितेन्द्र (अ.सा.3) ने स्पष्ट किया कि भगोरिया के दिन रात्रि 08:00 बजे की घटना है। घटना के समय तातु ने शराब पीना स्वीकार किया लेकिन उक्त दोनों साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपीगण ने उनके साथ मारपीट नहीं की थी अथवा असत्य कथन कर रहे हैं।

08. प्रमोद शर्मा (अ.सा.6) का कथन है कि दिनांक 21.03.2016 को थाना अंजड़ में फरियादिया राजलीबाई ने आरोपीगण के विरुद्ध उनके साथ अश्लील गालियां देने, मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में **प्रदर्श पी-1** की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इस पर उसने अंगूठा निशानी लगाया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने फरियादिया को रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी।

09. श्यामलाल यादव (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 26.03.2016 को उसने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 60/16 की विवेचना के दौरान ग्राम गोलाटा पहुंचकर साक्षी तातु की निशांदेही पर नक्शा मौका **प्रदर्श पी-2** का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने साक्षीगण के कथन मन से लेखबद्ध किये थे।

10. डॉ. रितेश काग (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 21.03.2016 को उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में आरक्षक रामकिशोर के लाने पर राजलीबाई पति तातु, जितेन्द्र पिता तातु तथा तातु पिता **मंगलिया** का मेडिकल परीक्षण किया था और उन्हें सख्त एवं बोथरी वस्तु से **प्रदर्श पी-3, प्रदर्श पी-4, प्रदर्श पी-5**, दर्शित अनुसार चोटे होना पाई थी। साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त चोटों के संबंध में तीनों दायलों को आगे उपचार के लिये जिला चिकित्सालय बड़वानी भेजा गया। बचाव

पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त चोंटे साधारण प्रकृति की है तथा गिरने एवं पड़ने से आना संभव है लेकिन उक्त तीनों ही आहत साक्षियों को बचाव साक्ष्य की ओर से यह सुझाव नहीं दिया कि उन्हें उक्त चोंटे गिरने से आई थी। ऐसी स्थिति में डॉ. रितेश की उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है।

11. इस प्रकार तीनों ही घायल व्यक्तियों में आरोपीगण द्वारा उन्हें सख्त एवं बोथरी वस्तु पत्थर और हाथ, घुसों से मारपीट करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। घटना की रिपोर्ट तत्काल बाद राजलीबाई (अ.सा.1) ने की है। जहां से तीनों घायल व्यक्तियों को उपचार के लिये भेजा गया तथा डॉ. ने उनका परीक्षण करने पर उन्हें सख्त एवं बोथरी वस्तु से साधारण प्रकृति की चोटे आना पाया है जिसका कोई भी खण्डन नहीं हुआ है। इस अपराध की विवेचना श्यामलाल यादव (अ.सा.05) ने की है जो लोक सेवक है तथा उसकी आरोपीगण से कोई रंजिश अथवा फरियादी पक्ष से कोई हितबद्धता बचाव पक्ष में प्रमाणित नहीं की। यहाँ तक कि उन्हें इस संबंध में सुझाव ही नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अभियोजन की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक 21.03.16 को शाम लगभग 07:00 बजे ग्राम गोलाटा में अपने घर के सामने घायल आहत राजलीबाई, तातु और जितेन्द्र को सख्त और बोथरी वस्तु पत्थर तथा थप्पड़, मुक्कों से मारकर स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित की जो कि भा.द.सं. की धारा 323 का अपराध है जो अभियोजन प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी ज्वानसिंह, गजु और कविता को भा.द.सं. की धारा 323 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 3 का निराकरण :-

12. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में राजलीबाई (अ.सा.1) तातु (अ.सा.2) तथा जितेन्द्र (अ.सा.3) ने कोई भी कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 294 एवं 506 भाग-2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। उक्त धाराओं के अपराधों से आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाता है।

13. प्रकरण की परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुये आरोपीगण को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को भा.द.सं. की धारा 323 में दोषसिद्ध किया गया है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय लेखन स्थगित किया गया है।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

पुनश्च

सजा के प्रश्न पर आरोपीगण तथा उनके अधिवक्ता को सुना गया। उनका निवेदन है कि आरोपीगण गरीब, ग्रामीण तथा अशिक्षित है तथा उन्होंने विचारण शीघ्रता से किया है। अतः सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए।

यह सही है कि आरोपीगण एक ही परिवार के होकर गरीब और ग्रामीण हैं। आरोपी राजलीबाई एक महिला हैं। जवान सिंह लगभग 60 वर्ष की आयु का है तथा आरोपी गजु भी इसी परिवार का है जिसे देखते हुये आरोपीगण को कारावास से दण्डीत करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय आरोपी जवानसिंह, गजु और कविताबाई को भा.द.सं. की धारा 323 में तीन-तीन बार दोषी ठहराते हुये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं रुपये 300-300/- (प्रत्येक को कुल रुपये 900/-) अर्थदण्ड से दण्डीत करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपीगण 7-7 साल का सादा कारावास भुक्तेंगे। अर्थदण्ड की राशि अदा होने पर उसमें से रुपये 500-500/- अपील अवधि पश्चात आहत राजलीबाई, तातु और जितेन्द्र को प्रतिकर स्वरूप प्रदान किये जाये।

14. आरोपीगण के जमानत और मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। आरोपीगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाए।

15. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

09.

10.

11. ऐसी स्थिति में जप्तीपंचनामे के साक्षी ने उसके सामने आरोपीगण से कोई भी पूछताछ करने या पुलिस द्वारा उसके सामने चोरी की संपत्ति सोयाबीन के कट्टे जप्त होने से स्पष्ट रूप से इंकार किया तो जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी की एक मात्र साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक, स्थल व समय से फरियादी के गोदाम से मध्यरात्रि के समय रात्रि प्रच्छन्न अतिचार तथा उसकी अनुमति के बिना 10 कट्टे सोयाबीन की चोरी की थी। ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरुद्ध उक्त विचारणीय प्रश्न प्रमाणित नहीं होता।

12. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 आरोपीगण के विरुद्ध संदेह के परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं अतः यह न्यायालय आरोपी पण्डू पिता मांगीलाल एवं अनिल पिता जगदीश को भादस की धारा 457 एवं 380 के अपरध से संदेह का लाभ देकर

दोषमुक्त घोषित करता हूँ।

—4—

13. आरोपी पण्डू अभिरक्षा में उनका रिहाई आदेश जारी हो। आरोपी अनिल के जमानत और मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। आरोपीगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में दफ़्तर की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाए।

14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 10 कट्टे सोयाबीन के जिसमें प्रत्येक कट्टे में 50 किलोग्राम सोयाबीन कुल 5 क्विंटल कीमती 20,000/— रुपये, फरियादी की सुपुर्दगी पर है अपील अवधी पश्चात् सुपुर्दनामा भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही/—

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

सही/—

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

